झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

[चतुर्थ(विशेष)सत्र]

बुधवार,तिथि- 11 नवम्बर, 2020 (ई0)

20 कार्तिक,1942 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रारम्भिक-कार्य :-

(01)- अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य।

(02)- शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।

-: सभापति तालिका की घोषणा :-

(03)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम-10(1) के अन्तर्गत सभापति तालिका की घोषणा।

-: समितियों का गठन :-

(04)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

-: औपचारिक-कार्य :-

(05)-सभा द्वारा गत सत्र में स्वीकृत तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों के विवरण का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना।

-: राजकीय संकल्प :-

(06)- मुख्यमंत्री (प्रभारी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) श्री हेमन्त सोरेन, प्रस्ताव करेंगे कि"चूँकि झारखण्ड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की एक बड़ी आबादी सरना धर्म को मानने वाली है। सरना धर्म को मानने वाले लोग प्राचीन परम्पराओं एवं प्रकृति के उपासक है। प्राचीनतम् सरना धर्म का जीता-जागता ग्रन्थ जल, जंगल जमीन एवं प्रकृति है। सरना धर्म की संस्कृति पूजा पद्धति, आदर्श एवं मान्यतायें प्रचलित सभी धर्मों से अलग है। आदिवासी समाज प्रकृति के पुजारी हैं।

कृ0पृ0उ0/-.....2

पेड़ों, पहाड़ों की पूजा तथा जंगलों को संरक्षण देने को ही ये अपना धर्म मानते हैं। आज पूरा विश्व बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरण की रक्षा को लेकर चिन्तित है, वैसे समय में जिस धर्म की आत्मा ही प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा है उसको मान्यता मिलने से भारत हीं नहीं पूरे विश्व में प्रकृति प्रेम का संदेश फैलेगा।

आदिवासी सरना समुदाय पिछले कई वर्षो से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिये जनगणना कोड में प्रकृति पूजक सरना धर्मावलम्बियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारम्परिक धार्मिक अस्तित्व के रक्षा की चिन्ता निश्चित् तौर पर एक गंभीर सवाल है। आज सरना धर्म कोड की मांग इसलिये उठ रही है कि प्रकृति आदिवासी सरना धर्मावलम्बी अपनी पहचान के प्रति आश्वस्त हो सके। यह एक मुहिम है आदिवासी सरना धर्मावलम्बियों की घटती हुई जनसंख्या एक गम्भीर सवाल है।

जनगणना 2001 के बाद जब आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत फिर एक बार कम हुआ तो यही प्रतिक्रिया सामने आयी कि आखिरकार आदिवासियों की जनसंख्या में लगातार कमी क्यों हो रही है? और कैसे? पिछले आठ दशकों के जनगणना के आकलन इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत लगातार कम हुआ। आजादी के बाद से देश में उत्पन्न बड़ी समस्याओं में बढ़ती जनसंख्या देश के सामने बड़ी चुनौती है।

सन् 1931 से 2011 के आदिवासी जनसंख्या के क्रमिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि पिछले आठ दशकों में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 38.03 से घट कर सन 2011 में 26.02 प्रतिशत हो गया। इन आठ दशकों में आदिवासी जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से 12-प्रतिशत की कमी आई है जो एक गम्भीर सवाल है। जनगणना के आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष झारखण्ड की कुल आबादी में वृद्धि दर अन्य समुदायों की वृद्धि दर से अत्यंत कम है। सन् 1931 से 1941 के बीच जहाँ आदिवासी आबादी की वृद्धि दर

कृ0पृ030/-.....3

13.76 है। वहीं गैर आदिवासी आबादी की वृद्धि दर 11.13 है। सन् 1951 से 1961 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 12.71 प्रतिशत है वहीं अन्य समुदायों की वृद्धि दर 23.62 प्रतिशत है। क्रमशः सन् 1961 से 1971 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 15. 89 प्रतिशत है, वहीं अन्य समुदाय के जनसंख्या की वृद्धि दर 26.01 प्रतिशत है। सन् 1971 से 1981 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 16.77 प्रतिशत है जब कि अन्य समुदाय की जनसंख्या की वृद्धि दर 27.11 है। इसी प्रकार 1981 से 1991 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 13.41 है वहीं तुलनात्मक रूप गैर आदिवासी की वृद्धि दर 28.67 प्रतिशत है। 1991 से 2001 के बीच आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत तथा अन्य समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर 25.65 प्रतिशत हैं।

इस जनसंख्या में कमी का प्रमुख कारण यह भी है कि जनगणना की कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक प्रत्येक 10-वर्षों में जनगणना का कार्य 09 फरवरी तथा 28 फरवरी के बीच किया जाता है। विडम्बना यह है कि झारखण्ड में यह समय लीन पीरियड अथवा खाली समय होता है, जब आदिवासी अपने फसल के कार्यों से मुक्त होकर वर्ष के बाकी महीनों की आजीविका के लिये अन्य प्रदेशों में पलायन कर जाते हैं। स्पष्ट है कि जनगणना में ऐसे लोगों की गणना अपने-अपने गाँवों में नहीं हो पाती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि जो लोग जनगणना के वक्त अपने क्षेत्रों में नहीं होते उनकी गणना उस समय में रहने की जगह में हो जाती है। परन्तु सवाल सिर्फ गणना का नहीं है। सवाल है कि वैसे आदिवासियों की गणना जो प्रदेश से बाहर होते हैं आदिवासी के रूप में न होकर सामान्य जाति के रूप में कर ली जाती है।

आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट के कारण संविधान के विशेषाधिकारों के तहत् पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी विकास की नीतियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित विस्तार अधिनियम) 40/1996 की धारा 4 (ड) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक पंचायतों के विभिन्न पदों पर आदिवासियों के लिये आरक्षित किये जाने का आधार जनसंख्या को ही माना गया है। इसी प्रकार पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों को चिन्हित करने का आधार भी जनगणना को माना गया है। गत कई वर्षों के पाँचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में से ऐसे जिलों को हटाने की मांग की जा रही हैं जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आयी हैं।

इस प्रकार जनसंख्या में आने वाली कमी आदिवासियों के लिये दिये जाने वाले संवैधानिक अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर **हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, जैन धर्मावलम्बियों** से अलग सरना अथवा प्रकृति पूजक आदिवासियों की पहचान के लिये तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिये अलग सरना कोड अत्यावश्यक है।

अगर सरना कोड मिल जाता है तो इसका दूरगामी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

- प्रथम तो यह कि सरना धर्मावलम्बी आदिवासियों की गिनती स्पष्ट रूप से जनगणना के माध्यम से हो सकेगी।
- आदिवासियों की जनसंख्या का स्पष्ट आकलन हो सकेगा।
- आदिवासियों को मिलने वाली संवैधानिक अधिकारों (पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों, ट्राईबल सबप्लान के तहत् मिलने वाले अधिकारों, विशेष केन्द्रीय सहायता के लाभ तथा भूमि के पारम्परिक अधिकारों) का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- आदिवासियों की भाषा संस्कृति, इतिहास का संरक्षण एवं संवर्धन होगा।

अतः सरना कोड आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिये अतिआवश्यक है।

2. चूँकि यह भी कि सन् 1871 से 1951 तक की जनगणना में आदिवासियों का अलग धर्म कोड था लेकिन वर्ष 1961-62 के जनगणना प्रपत्र से इसे हटा दिया गया। वर्ष-2011 की जनगणना में देश के 21 राज्यों में रहने वाले लगभग पचास (50)-लाख आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र में सरना धर्म लिखा।

03. चूँकि यह भी कि झारखण्ड में सरना धर्म को मानने वाले लोग वर्षों से सरना धर्म कोड लागू करने के लिए आन्दोलन करते आ रहे हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने हेतु वर्त्तमान एवं पूर्व सदस्य, झारखण्ड विधान सभा एवं कई आदिवासी संगठन द्वारा ज्ञापन/आवेदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया है।

अतएव आदिवासियों के लिए अलग आदिवासी /सरना धर्म कोड का प्रावधान करने हेतु राज्य सरकार के संकल्प संख्या-4242, दिनांक-03-11-2020 पर अनुसमर्थन प्राप्त कर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने हेतु सभा की सहमति हो।

(07)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

(08)- शोक-प्रकाश

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-09/2020-1756/वि0स0,राँची,दिनांक- 10/11/20

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा/राज्यसभा नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/20

(छोटे लाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-09/2020-1756/वि0स0,राँची,दिनांक-10/11/20

प्रतिलिपिः- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

10/11/20
(छोटे लाल टुडू)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-09/2020-1756/वि0स0,राँची,दिनांक-10/11/20

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/20
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

गोपी कृष्ण/

10.11.20